

2022/154

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

"न्याय आपके द्वार-2016"

आदेश

प्रकार का केम्प-21

का केम्प-22

79
2022

199
30-6-22
प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कार व भू.अ.नि. कार

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार श्री.स.कु. / नायब तहसीलदार

की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

136 के अनुसरण में ग्राम लायनी व कार तहसील व जिला

की जमाबन्दी सम्वत् 2074-75 में खाता संख्या 64 व 452 में वर्तमान में दर्ज

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	लायनी	64	धूलाराम पुत्र कार	धूलाराम पुत्र धूलाराम पुत्र कार
2	कार	452	धूलाराम पुत्र कार	— 2 — केस 2514 दरामद

पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 30-6-22

30
22

क्रमांक :- 200-201

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार श्री.स.कु. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व, रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। धूलाराम कार लायनी

पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर
शाहपुरा (जयपुर)